

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से भित्ताई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 फरवरी 2018 — माघ 18, शक 1939

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-6/2015/38-2. — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्र. 756/एस.एण्ड.ओ./एमिटी/2014/7650, दिनांक 26-12-2017 एवं पत्र क्रमांक 756/एस.एण्ड.ओ./एमिटी/2014/7681, दिनांक 10-01-2018 द्वारा एमिटी यूनिवर्सिटी, ग्राम-मांड, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 25 तथा प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 35 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26(5) एवं 28(4) के तहत किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्वारा, उपरोक्त परिनियमों एवं अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष कुमार भट्ट, सचिव.